माननीय न्यायमूर्ति राम चंद गुप्ता के समक्ष

जरनैल सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2010 की सी.आर.एल रिट याचिका संख्या 1782

10 नवंबर, 2010

हरियाणा गुड कंडक्ट कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988- सेक्शन 3 (1) (डी) और 6-घर की मरम्मत के लिए पैरोल पर रिहाई की मांग करने वाला याचिका-क्या एक ही वर्ष के भीतर कृषि और घर की मरम्मत के लिए पैरोल का लाभ उठाया जा सकता है- आभीरणित, हां- 1988 अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई रोक नहीं-कृषि पैरोल धारा 3 (1) (सी) के तहत कवर की जाती है जबकि घर की मरम्मत पैरोल धारा 3 (1) (डी) के तहत दी जाती है-याचिका की अनुमति दी जाती है।

अभिनिर्णित किया जाता है कि हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 6 के अवलोकन से पता चलता है कि पैरोल पर याचिकाकर्ता की रिहाई से केवल इस आधार पर इनकार किया जा सकता है कि इससे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना है। बल्कि उसकी रिहाई को इस दलील पर खारिज कर दिया गया कि उसने 29 मार्च, 2010 से 11 मई, 2010 तक कृषि पैरोल का लाभ उठाया था। हालांकि, पहले की पैरोल से लौटे करीब छह महीने बीत चुके हैं। इसके अलावा, अधिनियम

और नियमों के तहत कृषि पैरोल और घर की मरम्मत पैरोल का लाभ उठाने के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि कृषि पैरोल अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के तहत कवर किया गया है, जबकि घर की मरम्मत पैरोल अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत दी जाती है।

(पैरा 8)

आर. के. बग्गा. याचिकाकर्ता के वकील

अमनदीप सिंह, ए.ए.जी., हरियाणा

न्यायमूर्ति राम चंद गुप्ता (मौखिक)

(1) वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 *के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें* 17 सितंबर, 2010 के आदेश संख्या सीजेए/41 जे 1038 के तहत याचिकाकर्ता को हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत चार सप्ताह के लिए घर की मरम्मत पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था। 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम')

(2) प्रतिवादी-राज्य की ओर से जवाब दायर किया गया है।

(3) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(4) स्वीकृत तथ्य यह है कि, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और 17 मार्च, 1998 को एफआईआर नंबर 118 की धारा

302/148/307/323/149 आईपीसी, पुलिस स्टेशन गुहला के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने घर की मरम्मत के लिए पैरोल पर अपनी रिहाई के लिए आवेदन किया और घर की मरम्मत के लिए उसके आवेदन की प्रतिवादी नंबर 3 यानी अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबाला द्वारा विधिवत सिफारिश की गई क्योंकि वह कानून और नियमों के अनुसार हकदार था। यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला ने याचिकाकर्ता को घर की मरम्मत पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की और हालांकि, सक्षम प्राधिकारी यानी डिवीजनल कमिश्नर, अंबाला रेंज, अंबाला ने याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने से केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने हाल के दिनों में 29 मार्च, 2010 से 11 मई, 2010 तक छह सप्ताह की कृषि पैरोल का लाभ उठाया था।

(5) याचिकाकर्ता के विदवत वकील द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कृषि उद्देश्य के लिए पहले की पैरोल से लौटे लगभग छह महीने बीत चुके हैं।

(6) अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि एक दोषी को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है जो निम्नानुसार है: -

3. कुछ आधारों पर कैदियों की अस्थायी रिहाई।

(1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर सकेगी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि:

(a) कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई थी या वह गंभीर रूप से बीमार है या कैदी स्वयं गंभीर रूप से बीमार है; नहीं तो

(b) कैदी का विवाह, उसका बेटा, बेटी, पोता, पोती, भाई, बहन, बहन का बेटा या बेटी मनाया जाना है; नहीं तो

(c) कैदी की अस्थायी रिहाई जुताई, बुवाई या कटाई या उसकी भूमि या उसके पिता की अविभाजित भूमि पर किसी अन्य कृषि कार्य को करने के लिए आवश्यक है, जो वास्तव में याचिकाकर्ता के कब्जे में है।

(d) किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना वांछनीय है।

(2) वह अवधि जिसके लिए किसी कैदी को रिहा किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि अधिक न हो।

(a) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट आधारों पर रिहा किया जाना है, तीन सप्ताह;

(b) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (बी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, चार सप्ताह; और

(c) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, छह सप्ताह;

बशर्ते कि खंड (सी) के तहत अस्थायी रिलीज का लाभ वर्ष के दौरान एक से अधिक बार लिया जा सकता है, जो संचयी रूप से छह सप्ताह से अधिक नहीं होगा।

(3) इस धारा के तहत रिहाई की अवधि को कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को इस धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जो इसके तहत निर्दिष्ट सभी या किसी अन्य आधार के संबंध में है।

(7) इसके अलावा अधिनियम की धारा 6 उन आधारों के लिए प्रदान करती है जिन पर पैरोल से इनकार किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है: -

"6. **धारा** 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कैदी इस अधिनियम के अधीन रिहा किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने को खतरा होने की संभावना है।

(8) अधिनियम की धारा 6 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने से केवल इस आधार पर इनकार किया जा सकता है कि इससे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने की संभावना है। हालांकि, वर्तमान मामले में, घर की मरम्मत पैरोल पर हाय^एलीज़ के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित किसी भी आधार पर खारिज नहीं किया गया है। बल्कि उसकी रिहाई को इस दलील पर खारिज कर दिया गया था कि उसने 29 मार्च, 2010 से 11 मई, 2010 तक कृषि पैरोल का लाभ उठाया था। हालांकि, पहले की पैरोल से लौटे करीब छह महीने बीत चुके हैं। इसके अलावा, अधिनियम और नियमों के तहत कृषि पैरोल और घर की मरम्मत पैरोल का लाभ उठाने के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि कृषि अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के तहत कवर किया गया है, जबकि घर की मरम्मत पैरोल अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत दी जाती है।

(9) इसलिए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 17 सितंबर, 2010 के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक R2 को घर की मरम्मत पैरोल पर याचिकाकर्ता की रिहाई से इनकार करते हुए रद्द किया जाता है।

(10) उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, अधिनियम और नियमों और निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में पैरोल

पर रिहा करने के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

(11) तदनुसार निपटार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा